न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा/202/2012 तारीख रजु 06.09.2012

उनवान

धर्मी पुत्र मांगी जाति जाटव वगै0 निवासी सीतापुर तहसील हिण्डौन जिला करौली।
----वादीगण(02)

बनाम

दिनेश पुत्र प्रभू वगै0 जाति जाटव निवासी सीतापुर तहसील हिण्डोन जिला करौली।
-----प्रतिवादी(10)

उपस्थितिः–
वादी की ओर से :– श्री प्रेमसिंह नौनिया. एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :– श्री के.एल.गोयल एडवोकेट

निर्णय

दिनांक 21.01.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा स्थायी निषेधाज्ञा स्थित ग्राम सीतापुर तहसील हिण्डोन के खसरा न. 108/976, 108/999, 211 के सम्बंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान वादी वकील को कई बार तलवाना पेश करने के अवसर दिये गये पत्रावली दिनांक 21.01.2020 को तलवाना की स्टेज पर पेश हुई । बार–बार आवाज दिलाई गई । पत्रावली वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए, जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त दावे में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 202/2012 धर्मी बनाम दिनेश अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 21.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2020.02.14 15:30:24 IST
Reason: SelfAttested